

**बिहार सरकार**  
**निर्वाचन विभाग**  
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय  
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना – 800015

---

Press Release

दिनांक :- 04.11.2015

1. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर पंचम चरण के निर्वाचन वाले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ निम्नवत् हैं:-
- |  |                    |
|--|--------------------|
| (i) <b>Number of Assembly Constituencies going to poll</b> | <b>57</b>          |
| <b>No. of Districts involved</b>                           | <b>9</b>           |
| (ii) <b>Electors</b>                                       |                    |
| <b>Total Electors</b>                                      | <b>1,55,43,594</b> |
| <b>a) General Elector</b>                                  | <b>1,55,36,660</b> |
| Male   | 81,84,948          |
| Female   | 73,51,277          |
| Third Gender   | 435                |
| <b>b) Service Elector</b>                                  | <b>6,934</b>       |
| Male   | 5,207              |
| Female   | 1,727              |
| Third Gender   | 0                  |
| (iii) <b>Total No. of ASD electors</b>                     | <b>7,84,343</b>    |
| (iv) <b>No. of Candidates</b>                              | <b>827</b>         |
| Male   | 769                |
| Female   | 58                 |
| (v) <b>Polling Station</b>                                 | <b>14,709</b>      |
| Main Polling Stations                                      | 14,062             |
| Auxiliary Polling Stations                                 | 647                |
| (vi) <b>No. of Polling Station Location</b>                | <b>9,838</b>       |
| (vii) <b>No. of EVMs to be used</b>                        |                    |

	CU	14,709
	BU	18,866
(viii)	<b>No. of VVPATs to be used</b>	<b>2,707</b>
(ix)	<b>No. of ECI Observers</b>	
	General Observers	57
	Expending Observers	18
	Police Observers	9
	Awareness Observers	9
(x)	<b>No. of Employees given Postal Ballots</b>	<b>51,345</b>
(xi)	<b>No. of Employees casted vote through Postal Ballots</b>	<b>41,490</b>
(xii)	<b>No. of NBWs against accused persons executed after announcement of election</b>	<b>12,047</b>
(xiii)	<b>No. of Vulnerable Hamlets</b>	<b>4,054</b>
(xiv)	<b>No. of electors identified as vulnerable</b>	<b>1,98,311</b>
(xv)	<b>No. of identified trouble makers in vulnerability mapping</b>	<b>16,827</b>
(xvi)	<b>No. of Bonds taken under section 107 Cr. P.C.</b>	<b>80,074</b>

## 2. Other Details

Name of Distt.	Madhubani	Supaul	Araria	Kishanganj	Purnea	Katihar	Madhepura	Saharsa	Darbhanga	Total
No. of Model polling stations	50	20	24	28	70	28	49	16	50	335
No. of Critical polling stations	623	429	955	571	1235	323	365	226	791	5518
No. of LWE polling stations	0	0	0	0	87	0	0	59	130	276
No. of Micro Observer deployed	240	310	230	166	252	191	282	170	360	2201
No. of Polling Personnel deployed	12876	6706	7281	6053	8963	7463	6249	6270	12608	74469
No. of CPF and State Police Personnel deployed (in Coys)	189	91	101	70	127	121	79	84	171	1033
No. of Android Mobile deployed	100	50	67	28	69	70	36	40	100	560
No. of Video Camera deployed	100	130	141	81	156	56	58	39	162	923
No. of PS using Live Web Casting	100	116	62	69	173	123	27	60	110	840

Air Surveillance – Helicopter/UAV	5
No. of vehicle required in 5 <sup>th</sup> phase	17,779
No. of Motor Boat to be used in 5 <sup>th</sup> phase for Riverine patrolling	53
No. of Motor Bike to be used in 5 <sup>th</sup> phase for patrolling	341
Mounted Police Force to be used for patrolling	50
Air Ambulance	1

3. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर मतदान के सफल संचालन एवं अनुश्रवण के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का कार्यालय, निर्वाचन विभाग, बिहार में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। नियंत्रण कक्ष में स्थापित दूरभाष संख्या 0612-2217788 तथा फ़ैक्स संख्या 0612-2215611 है।
4. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर मतदाताओं को बी०एल०ओ० के माध्यम से उनके घर पर ही मतदाता पर्ची उपलब्ध करायी जा रही है। पंचम चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के कुल 95.04% मतदाताओं को मतदाता पर्ची उपलब्ध करायी जा चुकी है। जिन मतदाताओं को मतदाता पर्ची प्राप्त नहीं हुई है वे मतदान की तिथि दिनांक 05.11.2015 को अपने मतदान केन्द्र पर जा कर बी०एल०ओ० के माध्यम से मतदाता पर्ची प्राप्त कर सकते हैं। यदि मतदाता पर्ची प्राप्त नहीं हुई है तो ईपिक अथवा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर भी अपनी पहचान स्थापित करते हुए मतदाता अपना मतदान कर सकते हैं। मतदाता पर्ची स्वयं ही मतदान के समय मतदाता की पहचान स्थापित करने हेतु वैकल्पिक दस्तावेज है। मतदान हेतु मतदाता पर्ची की मूल प्रति ही स्वीकार्य होगी।
5. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर Basic Minimum Facilities के तहत निम्नलिखित सुविधायें प्रदान की जा रही है :-
  - (i) रैम्प की व्यवस्था
  - (ii) शुद्ध पेयजल की व्यवस्था
  - (iii) बैठने हेतु फर्नीचर आदि की व्यवस्था
  - (iv) रौशनी की व्यवस्था

- (v) हेल्प डेस्क की व्यवस्था
- (vi) टॉयलेट की व्यवस्था (महिला एवं पुरुष के लिए अलग-अलग)
6. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर मतदान की तिथि को मतदान केन्द्रों पर विकलांग/नेत्रहीन मतदाताओं की सहायता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है:-
- (i) मतदान केन्द्रों पर रैम्प की व्यवस्था।
  - (ii) निःशक्त मतदाताओं को व्हील चेयर द्वारा मतदान केन्द्र के अन्दर ले जाने की सुविधा।
  - (iii) नेत्रहीन मतदाताओं की सुविधा हेतु मतदान केन्द्रों पर मतदान करने के लिए ब्रेल लिपि में डमी बैलेट शीट की सुविधा।
  - (iv) किसी 18 साल से अधिक उम्र के सहयोगी की मदद से मतदान केन्द्र पर मतदान करने की सुविधा।
7. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर मतदान के समय निर्वाचकों की पहचान के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची जारी की गयी है :-
- 1 पासपोर्ट
  - 2 ड्राइविंग लाइसेंस
  - 3 राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
  - 4 बैंको/डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक
  - 5 पैन कार्ड
  - 6 आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड
  - 7 मनरेगा जॉब कार्ड
  - 8 श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
  - 9 फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
  - 10 निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची एवं
  - 11 सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र।
8. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर पंचम चरण के विधान निर्वाचन क्षेत्रों के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ग) में निहित प्रावधानों के आलोक में उक्त निर्वाचन

क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व से ही सभी प्रकार के शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

9. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) के अनुसार "कोई भी व्यक्ति किसी मतदान क्षेत्र में, उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान – (क) निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा; या (ख) चलचित्र, टेलीविजन या वैसे किसी अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा; या (ग) कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से, आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा।" अतः पंचम चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व से ही उक्त प्रतिबंध लागू होंगे।
10. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ख) में निहित प्रावधानों के आलोक में किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन पंचम चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में दिनांक 05.11.2015 (वृहस्पतिवार) को सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जायेगा।
11. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के पंचम चरण के 57 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का मतदान दिनांक 05.11.2015 (वृहस्पतिवार) को निर्धारित है जिनमें से 55 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान का समय प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक तथा 2 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान का समय प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक है। पंचम चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के समय से संबंधित विस्तृत विवरणी निम्नवत् है :-

जिला का नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का संख्या एवं नाम	मतदान का समय
1	2	3
मधुबनी	31-हरलाखी	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	32-बेनीपट्टी	
	33-खजौली	

	34-बाबूबरही	
	35-बिस्फी	
	36-मधुबनी	
	37-राजनगर (अ0जा0)	
	38-झंझारपुर	
	39-फुलपरास	
	40-लोकहा	
सुपौल	41-निर्मली	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	42-पिपरा	
	43-सुपौल	
	44-त्रिवेणीगंज (अ0जा0)	
	45-छातापुर	
अररिया	46-नरपतगंज	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	47-रानीगंज (अ0जा0)	
	48-फारबिसगंज	
	49-अररिया	
	50-जोकिहाट	
	51-सिकटी	
किशनगंज	52-बहादुरगंज	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	53-ठाकुरगंज	
	54-किशनगंज	
	55-कोचाधामन	
पूर्णिया	56-अमौर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	57-बायसी	
	58-कसबा	
	59-बनमनखी (अ0जा0)	
	60-रूपौली	
	61-धमदाहा	
	62-पूर्णिया	
कटिहार	63-कटिहार	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	64-कदवा	
	65-बलरामपुर	
	66-प्राणपुर	
	67-मनिहारी (अ0ज0जा0)	
	68-बरारी	
	69-कोढ़ा (अ0जा0)	
मधेपुरा	70-आलमनगर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक

	71-बिहारीगंज	
	72-सिंहेश्वर (अ0जा0)	
	73-मधुपेरा	
सहरसा	74-सोनबरसा (अ0जा0)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	75-सहरसा	
	76-सिमरी बख्तियारपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक
	77-महिषी	
दरभंगा	78-कुशेश्वरस्थान (अ0जा0)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	79-गौड़ाबौराम	
	80-बेनीपुर	
	81-अलीनगर	
	82-दरभंगा ग्रामीण	
	83-दरभंगा	
	84-हायाघाट	
	85-बहादुरपुर	
	86-केवटी	
	87-जाले	

12. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के पंचम चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता के Enforcement के द्वारा अभी तक कुल निम्नलिखित मामले दर्ज हुए :-

Defacement in Public Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others)	138
Defacement in Private Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others)	42
Misuse of Vehicle (Beacon, light, Flag)	58
Violation of Loudspeaker Act	9
Illegal Meeting/Speech etc.	19
Inducement /gratification to Electors/Cash, kind Distribution	3
Others	28

13. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के पंचम चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में Law & Order के तहत निम्नलिखित मामले अभी तक सामने आए :-

No. of Arms/Weapons seized	119
No. of cartridges seized	585

No. of Bombs seized	11
No. of Licensed Arms deposited	5,003
No. of Licensed Arms Cancelled	1,937
No. of persons bound down under preventive section of Cr. PC	57,292
No. of non-bailable warrants executed	14,284
Fine collected in vehicle checking	Rs. 2,76,48,185
14. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के पंचम चरण के जिलों में अभी तक Flying Squad, Static Surveillance Team एवं अन्य के द्वारा अब तक कुल 2.51 करोड़ रुपये जब्त किया गया है। जब्त राशि में से आयकर विभाग द्वारा अब तक कुल 66.58 लाख रुपये को अंतिम रूप से जब्त किया जा चुका है जबकि 1.17 करोड़ रुपये जिला स्तर पर गठित समिति के स्तर से विमुक्त किया गया है। इसी प्रकार Flying Squad, SST, उत्पाद विभाग तथा पुलिस विभाग द्वारा कुल 83,067 लीटर शराब जब्त किया गया है जिसका मूल्य लगभग ₹1.34 करोड़ रूपया है।	
15. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से संपन्न कराने हेतु भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय से दिये गये निदेश के आलोक में पूरे राज्य में अवैध देशी/विदेशी शराब के विरुद्ध, छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आज कुल 160 लीटर अवैध शराब जब्त किया गया।	
सुपौल जिला में ₹1,74,490/- एवं दरभंगा जिला में ₹50,000/- जाँच के दौरान प्राप्त हुए जिसकी छानबीन पुलिस तथा आयकर अधिकारियों द्वारा की जा रही है।	
16. आदर्श आचार संहिता के Enforcement के द्वारा आज निम्नलिखित मामले दर्ज हुए :-	
Misuse of Vehicle (Beacon, light, Flag)	8
Violation of Loudspeaker Act	1
Illegal Meeting/Speech etc.	2
Inducement /gratification to Electors/Cash, kind Distribution	1
Others	4
17. Law & Order के तहत निम्नलिखित मामले आज सामने आए :-	
No. of Arms/Weapons seized	11
No. of cartridges seized	14
No. of Licensed Arms deposited	9



No. of persons bound down under preventive section of Cr. PC	36
No. of non-bailable warrants executed	150
Fine collected in vehicle checking	Rs. 90,600
18. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई आज की गई :-	
No. of prohibition cases registered	29
No. of raids conducted	85
Volume of illicit liquor seized during raids	2,250 litre
No. of persons arrested	43
Amount of fine imposed	Rs. 65,750

19. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर किसी भी प्रकार के शिकायतों के निवारण हेतु एप्लिकेशन "समाधान" जारी किया गया था। दिनांक 09.09.2015 को प्रेस नोट जारी होने के उपरांत अभी तक इस एप्लिकेशन के माध्यम से कुल 16,010 सूचना, सुझाव तथा शिकायत प्राप्त हुए जिसमें से 15,840 आवेदनों को निष्पादित कर दिया गया है एवं 170 आवेदन विचाराधीन है।

20. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर राजनैतिक दलों/अभ्यर्थियों के चुनाव प्रचार से संबंधित अनुमति के लिए "सुविधा" एप्लिकेशन जारी किया गया था। दिनांक 09.09.2015 को प्रेस नोट जारी होने के उपरांत अभी तक इस एप्लिकेशन के माध्यम से कुल 47,633 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें से 47,620 आवेदनों को निष्पादित कर दिया गया है एवं 13 आवेदन निर्धारित समय के भीतर प्रक्रियाधीन है। इस एप्लिकेशन के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों के प्राप्त आवेदनों की विस्तृत विवरणी निम्नवत् है :-

	आवेदनों की संख्या	प्रतिशत
सभा स्थल की अनुमति हेतु आवेदन	4911	10.3%
मंच के संबंध में	112	0.2%
चुनाव कार्यालय खोलने की अनुमति हेतु आवेदन	4511	9.5%
चुनाव प्रचार हेतु वाहन की अनुमति हेतु आवेदन	26925	56.5%
चुनाव प्रचार हेतु जुलूस निकालने की अनुमति हेतु आवेदन	1432	3%
नुककड़ सभा आयोजन की अनुमति हेतु आवेदन	2195	4.6%
हैलीपैड के निर्माण की अनुमति हेतु आवेदन	234	0.5%

लाउडस्पीकर (ध्वनि विस्तारक यंत्र) के उपयोग की अनुमति हेतु आवेदन	5590	11.7%
हेलीकॉप्टर उतारने (लैंड कराने) की अनुमति हेतु आवेदन	1723	3.6%

\*\*\*\*\*